



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10102020-222349

CG-DL-W-10102020-222349

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 10—अक्टूबर 16, 2020 (आश्विन 18, 1942)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10—OCTOBER 16, 2020 (ASVINA 18, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके—
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation):

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2020

सं. ए-12(11)10/2015-स्था.1—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) तथा उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) तथा धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्र सरकार के अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- निरर्हता.—ऐसा कोई व्यक्ति,—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है, अथवा
(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कारणों को लेखबद्ध कर, किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
6. व्यावृत्ति.—इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	3* *(2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय है।	समूह 'ख', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	लेवल 6 (35,400—1,12,400 रुपये)	गैर-चयन

सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे हो	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200—92,300) में स्टाफ कार चालक ग्रेड-1 तथा ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित। नोट: जहां पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का संघटन— 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. बीमा आयुक्त (राजस्व), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य 3. बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का संघटन— 1. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2. बीमा आयुक्त (राजस्व), कर्मचारी राज्य बीमा निगम — सदस्य 3. बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	
---	--	--

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

दिनांक 17 सितम्बर 2020

सं. ए-12(11)10/2015-स्था.1—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (अवर श्रेणी लिपिक, एड्रीमा प्रचालक, दूरभाष प्रचालक तथा कंप्यूटर) भर्ती विनियम, 2011 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उससे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- निरर्हता.—ऐसा कोई व्यक्ति, —
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचलन से छूट दे सकेंगे।

- शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर, आदेश द्वारा, तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके, किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- व्यावृत्ति.—इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है:—

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अवर श्रेणी लिपिक	1888* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के शर्ताधीन।	समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 (19,900—63,200 रुपये)	गैर-चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति — क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	75 प्रतिशत पदोन्नति के द्वारा 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे होता है।	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति : (i) मैट्रिक अथवा समतुल्य की न्यूनतम अर्हता धारक और वेतन मैट्रिक्स में लेवल-1 (रु. 18,000-56,900) में बहु-कार्य स्टाफ संवर्ग में तीन वर्ष की नियमित न्यूनतम सेवा वाले बहु-कार्य स्टाफ वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति के विचारार्थ पात्र है। (ii) अवर श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा तैयार प्रशिक्षण को पूरा करने के अधीन होगी। (iii) दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति के लिए इस प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट होगी। परंतु शर्त यह है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पहले पदोन्नति के लिए जिन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, पर भी इस शर्त के अधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि के एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। नोट : जहां अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों की पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो तथा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर लेने वाले अपने कनिष्ठों के साथ, अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा : वेतन मैट्रिक्स में लेवल-1 (रु. 18,000-56,900) में समूह 'ग' स्टाफ, मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण (12वीं का स्तर) अथवा समतुल्य की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारक जिन्होंने संवर्ग में नियमित आधार पर न्यूनतम तीन वर्ष से सेवा दी हो, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) में होंगे :- 1. क्षेत्रीय निदेशक या अपर आयुक्त का मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम - सदस्य 3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से उपयुक्त पद का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 10th July 2020

No. A-12(11)10/2015-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Special Grade) in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation Staff Car Driver (Special Grade) Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. The method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification.—No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax.—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.
6. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard:—

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Car Driver (Special Grade)	3* *(2020) Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6, (Rs. 35,400—1,12,400)	Non-selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade-I in Level 5 (Rs. 29,200—92,300) in Pay Matrix with three years of regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of — 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission — Chairman 2. Insurance Commissioner (Revenue), Employees' State Insurance Corporation — Member 3. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Employees' State Insurance Corporation — Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of — 1. Director General, Employees' State Insurance Corporation - Chairman 2. Insurance Commissioner (Revenue), Employees' State Insurance Corporation — Member 3. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Employees' State Insurance Corporation. — Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

ANURADHA PRASAD
Director General

The 17th September 2020

No. A-12(11)10/2015-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Lower Division Clerk, Adrema Operator, Telephone Operator and Computer) Recruitment Regulations, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Lower Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification.— No person, —
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax.— Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Savings.— Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard:—

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lower Division Clerk.	1888* (2020) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	1. 75 per cent by promotion. 2. 25 per cent by Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Multi-tasking Staff possessing minimum qualification of Matriculation or equivalent and rendered not less than three years regular service in the Multi-tasking Staff cadre in level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) are eligible for consideration for promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Regional Director or Additional Commissioner or Director, Headquarters,	Not applicable.

(ii) Promotion shall be subject to completion of training for promotion to the post of Lower Division Clerk as devised by the Employees' State Insurance Corporation. (iii) Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion: Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Limited Departmental Competitive Examination: Group 'C' Staff in level-1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) possessing minimum educational qualification of Higher Secondary (12th standard) pass from recognised Board or equivalent who have rendered not less than three years' service in the cadre on regular basis shall be eligible to appear for the Limited Departmental Competitive Examination.	Employees' State Insurance Corporation. — Chairman; 2. Deputy Director, Employees' State Insurance Corporation — Member; 3. An Officer of appropriate rank from Employees' Provident Fund Organisation — Member.	
--	---	--

ANURADHA PRASAD
Director General